न्यायालय द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड(म.प्र.) (समक्ष:-मोहम्मद अज़हर)

<u>विविध व्यवहार अपील क.19 / 17</u> <u>संस्थित दिनांक-02.08.2017</u>

> रिंकू उर्फ राकेश आयु 22 वर्ष ,
> चट्टो उर्फ कोमल आयु 23 वर्ष पुत्रगण दर्शनसिंह यादव निवासीगण गोरियन टोला मौ, तहसील गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

> > अपीलार्थी / वादीगण / आवेदकगण

<u>विरूद्ध</u>

1. म0प्र0 राज्य द्वारा कलैक्टर जिला भिण्ड
2. गोपाल दास पुत्र ज्वाला प्रसाद जाति
कायस्थ श्रीवास्तव निवासी वार्ड कमांक 04 मौ,
तहसील गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

प्रत्यर्थी / प्रतिवादीगण / अनावेदकगण

अपीलार्थीगण द्वारा श्री एस.एस. श्रीवास्तव अधिवक्ता। प्रत्यर्थी कं0–01 द्वारा श्री दिवानसिंह गुर्जर अधिवक्ता। प्रत्यर्थी कं0–02 द्वारा श्री यजवेन्द्र श्रीवास्त अधिवक्ता।

(आ दे श) (आज दिनांक 15.01.18 को पारित)

- 1. यह विविध सिविल अपील न्यायालय तृतीय व्यवाहर न्यायाधीश वर्ग दो, गोहद, जिला भिण्ड (श्री पंकज शर्मा) के मूल व्यवहार वाद क्रमांक 141ए/2015 उनवान रिंकू उर्फ राकेश एवं अन्य बनाम म0प्र0 राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.07.17 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—02 के द्वारा अपीलार्थी/वादीगण का आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 01 व 02 सहपठित धारा—151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता (आई.ए. नंबर—01) निरस्त करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की है।
- 2. विचारण / अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी / वादीगण के यह

अभिवचन रहे है कि भूमि सर्वे कमांक 1133 मिन रकवा 1.740 हेक्टे0 स्थित ग्राम मौ तहसील गोहद जिला भिण्ड को तत्कालीन जमींदार ने 1,000 / —नजरान लेकर 10 / —रूपए वार्षिक लगान पर हमेशा के लिए प्रदान की थी। उक्त भूमि प्रकरण में विवादित है जिसे आगे के पदों में विवादित भूमि के नाम से संबोधित किया जएगा। वादीगण के यह अभिवचन रहे हैं कि उनके स्वामित्व की अन्य भूमियों से विवादित भूमि मिली हुइ है। जमींदारी समाप्ती के पश्चात वादीगण को विवादित भूमि का पक्का कृषक एवं म०प्र0भू०रा०सं० लागू होने के दिनांक से वादीगण भूमि के स्वामी हो चुके हैं। प्रतिवादी क्रमांक 02 गोपालदास ने विवादित भूमि पर गौशाला बनाने के लिए भूमि आवंटित किए जाने हेतु दिनांक 24.11.15 को कलेक्टर भिण्ड को आवेदन दिया, जबकि उस पर गौशाला बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। दिनांक 09.12.15 को प्रतिवादी क्रमांक 02 ने यह धमकी दी कि वह विवादित भूमि में गौशाला बनाने की कार्यवाही कर रहा है, तब वादी को राजस्व अभिलेख की गलत प्रविष्टि की जानकारी हुई कि पटवारी ने वादीगण का नाम भूमि स्वामी के रूप में अंकित न करते हुए, विवादित भूमि को चरनोई भूमि अंकित कर दिया है। जबकि वादीगण यह समझ रहे थे कि उनका नाम राजस्व अभिलेख में भूमि स्वामी के रूप में अंकित है।

3. वचारण / अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी / वादीगण के यह भी अभिवचन रहे है कि वादीगण का प्रथम दृष्ट्या मामला एवं सुविधा का संतुलन है। प्रतिवादीगण के विरूद्ध विवादित भूमि के वादीगण आधिपत्यधारी एवं भूमि स्वामी घोषित किए जाने और स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता चाही गई कि प्रतिवादी क्रमांक 01 प्रतिवादी क्रमांक 02 को विवादित भूमि आवंटित न करे और प्रतिवादी क्रमांक 02 उसमें गौशाला स्थापित न करे। वादीगण द्वारा आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 01 व 02 तथा धारा—151 जा०दी० का प्रस्तुत करते हुए प्रतिवादीगण द्वारा विवादित भूमि में वादीगण के कब्जे में कोई बाधा उत्पन्न न करने और प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा उपरोक्त प्रकार से आवंटन तथा प्रतिवादी क्रमांक 02 के द्वारा स्थापित न करने संबंधी अस्थाई निषेधाज्ञा की प्रार्थना की गई।

- 4. प्रत्यर्थी / प्रतिवादीगण कमांक 01 व 02 की ओर से प्रथक प्रथक रूप से प्रतिवादपत्र प्रस्तुत करते वादीगण के अभिवचनों का सामान्य और विनिर्दिष्ट रूप से प्रत्ख्यान किया गया और यह अभिवचन किया गया कि विवादित भूमि शासकीय भूमि होकर चरनोई की भूमि है, जिस पर पशु चरते हैं और जिस पर म0प्र0 शासन का स्वामित्व एवं आधिपत्य है विवादित भूमि शासकीय होने के कारण शासन को उसे आवंटित करने का पूर्ण अधिकार है। गौशाला बनाए जाने की कार्यवाही सही रूप से की जा रही है। वादीगण विवादित भूमि के स्वामी व आधिपत्यधारी नहीं है। दिनांक 09.12. 15 को प्रतिवादी कमांक 02 के द्वारा वादीगण को कोई धमकी नहीं दी गई है। वाद निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई। इन्हीं तथ्यों के वादीगण के आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 01 व 02 सहपठित धारा—151 जाठदी0 का लिखित उत्तर प्रतिवादी कमांक 01 व 02 की ओर से प्रथक प्रथक रूप से प्रस्तुत करते हुए आवेदन निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई।
- 5. विचारण / अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा यह मान्य किया गया कि खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि के अनुसार विवादित भूमि शासकीय चरनोई भूमि के रूप में दर्ज है, जिसे आवंटित करने का म०प्र० राज्य को पूर्ण अधिकार है
- 6. विचारण / अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा वादीगण का प्रथम दृष्ट्या मामला मान्य नहीं किया एवं वादीगण के पक्ष में सुविधा का संतुलन तथा अपूर्तनीय क्षित के बिन्दु होना मान्य नहीं करते हुए वादीगण का आवेदन का आवेदन निरस्त कर दिया तथा विचारण न्यायालय के द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई जिसके विरूद्ध अपीलार्थी / वादीगण की ओर से यह विविध सिविल अपील की गई।
- 7. अपीलार्थी / वादीगण की ओर से अपनी अपील में प्रमुख आधार यह लिए गए हैं कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 19.07.17 अवैधानिक होकर रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है। प्रस्तुत की गई खसरे की नकलों से यह प्रमाणित है कि विवादित भूमि अपीलार्थीगण के अन्य खेत में मिली हुई है तथा मौके पर उनका कब्जा है। कानूनन

विवादित भूमि पर गौशाला नहीं बनाई जा सकती है। विवादित भूमि के संबंध में यह संशोधन दावे में किया गया है कि अपीलार्थीगण के बाबा भगवान सिंह साबित जमींदारी अब्बासी से अषाढ़ सुदी पूर्णिमा संवत् 2006 जमींदारी काल में 1,000/—रूपए नजराना देकर 10/—रूपए वार्षिक लगान पर जोती थी, तब से लगातार भगवान सिंह और उनके पश्चात अपीलार्थीगण का कब्जा विवादित भूमि पर रहा है। उसे चरनोई भूमि गलत अंकित किया गया है।

- अपीलार्थी / वादीगण की ओर से अपनी अपील में यह आधार भी 8. लिए गए हैं कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तिनीय क्षति के बिन्दु अपीलार्थीगण के पक्ष में है। विचारण न्यायालय के द्वारा उक्त तथ्यों पर ध्यान न देते हुए अपीलार्थीगण का आवेदन निरस्त किए जाने में कानूनी भूल कारित की है। उक्त आधारों पर अपीलार्थीगण का आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 01 व 02 एवं धारा–151 जा0दी0 को स्वीकार करते हुए अपीलार्थी / वादीगण के पक्ष में इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने की प्रार्थना की गई है कि प्रत्यर्थी / प्रतिवादी क्रमांक 01 विवादित भूमि को प्रतिवादी कमांक 02 को आवंटित न करें और न ही प्रतिवादी कमांक 02 उक्त भूमि को गौशाला के लिए आवंटित करावे तथा प्रत्यर्थी / प्रतिवादी क्रमांक 01 व 02 विवादित भूमि में वादीगण के कब्जा एवं बर्ताव में कोई बाधा उत्पन्न न करे। जबकि प्रत्यर्थी / प्रतिवादी कंमांक 01 व 02 की ओर से मौखिक रूप से तर्क करते हुए व्यक्त किया है कि विवादित भूमि शासकीय भूमि होकर चरनोई की भूमि है, जिसे प्रतिवादी कमांक 01 म0प्र0 शासन को आवंटित करने का अधिकार है विवादित भूमि से वादीगण का कोई संबंध नहीं है। वादीगण को विवादित भूमि में कोई हक व अधिकार नहीं है। विचारण / अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उचित रूप से विधिवत आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप किए जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अपील निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।
- 9. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का परिशीलन करने से इस विविध सिविल अपील के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न निम्न प्रकार है:--

क्या विचारण / अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त मूल व्यवहार वाद क्रमांक 141ए / 15 में पारित आदेश दिनांक 19.07.17 स्थिर रखे जाने योग्य है अथवा उक्त आदेश में हस्तक्षेप किए जाने का कोई आधार है ?

रू—स<u>स्कारण निष्कर्ष</u> ::—

- उभयपक्ष को सुने जाने एवं विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के 10. मूल व्यवहार वाद के अभिलेख का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि प्रकरण में यह स्वीकृत है कि विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 1133 मिन रकवा 1.740 हेक्टे0 राजस्व अभिलेख में शासकीय भूमि दर्ज है। अपीलार्थीगण की ओर से एक आधार यह लिया गया है कि विवादित भूमि जमींदार अब्बासी ने 1,000 / – रूपए नजराना लेकर 10 / – रूपए वार्षिक लगान पर अपीलार्थीगण के बाबा भगवान सिंह को जुता दी थी, परंतु बाबा भगवान सिंह के द्वारा निष्पादित लिखतम वसीयतनामा दिनांक 28.06.2007 की प्रति का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि उसमें अन्य भूमियों का उल्लेख तो है परंत् भूमि सर्वे कमांक 1133 का कोई उल्लेख ही नहीं है। यदि वास्तव में भगवान सिंह विवादित भूमि के स्वामी व आधिपत्यधारी होते तो उसका उल्लेख वसीयतनामे में अवश्य होता, जबिक वसीयतनामे में अन्य कृषि भूमियों सर्वे कमांक 745, 1134, 1135, 1138, 786 एवं 1127 का उल्लेख है। उसके साथ साथ अन्य चल सम्पत्ती, गृहस्थी का सामान की वसीयत वादीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टि में करना दर्शित है, उक्त वसीयतनामे के आधार पर भी भगवान सिंह या उनके नाती अपीलार्थी/वादीगण का कोई स्वत्व व आधिपत्य होना प्रथम दृष्टि प्रकट नहीं होता है।
- 11. अपीलार्थी / वादीगण की ओर से अन्य कोई भी राजस्व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है कि जिसके आधार पर यह प्रकट होता हो कि विवादित भूमि में उनका कोइ कब्जा दर्ज रहा हो। मात्र विवादित भूमि वादीगण या उनके पूर्वज की जमीनों से मिली हुई होने के आधार पर वादीगण का कब्जा मान्य नहीं किया जा सकता। प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों से विवादित भूमि प्रथम दृष्टि में म०प्र० राज्य की ही होना प्रकट होती है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण का प्रथम दृष्टिया मामला प्रकट नहीं

होता है।

- 12. अतः विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा आलोच्य आदेश के पैरा—08 में दिया गया यह निष्कर्ष विधि सम्मत होना प्रकट होता है कि विवादित भूमि प्रथम दृष्ट्या शासकीय चरनोई की भूमि है, जिसे आवंटित करने का प्रतिवादी क्रमांक 01 म0प्र0 राज्य को पूर्ण अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा वादीगण का प्रथम दृष्ट्या मामला प्रमाणित न मानते हुए कोई वैधानिक त्रुटि कारित नहीं की है। इसी आधार पर सुविधा का संतुलन एंव अपूर्तिनीय क्षति के बिन्दु वादीगण के पक्ष में न मानते हुए कोई वैधानिक त्रुटि कारित नहीं की है। अतः ऐसी स्थिति में विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा वादीगण के आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 01 व 02 एवं धारा—151 जाठदीठ को निरस्त करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी न करके कोई वैधानिक त्रुटि कारित नहीं की है।
- 13. अतः ऐसी स्थिति में विचारण / अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आलोच्य आदेश दिनांक 19.07.17 किसी त्रुटि से ग्रसित नहीं है। इस कारण उक्त आदेश में हस्तक्षेप किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उक्त आदेश की पुष्टि की जाती है। यह विविध सिविल अपील सारहीन होने से निरस्त की जाती है।
- 14. इस अपील का व्यय उभयपक्ष अपना-अपना वहन करेंगे।
- 15. आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापस किया जावे।

आदेश न्यायालय में दिनांकित हस्ताक्षरित एवं पारित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(मोहम्मद अज़हर) द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड (मोहम्मद अज़हर) द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड